an>

Title: Need to fix minimum support prices of commercial crops of Rajasthan.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे निरीह प्राणी की बात करना चाहता हूं जिसे किसान कहते हैं। वास्तव में, पैदावार तक सारा काम किसान करता रहता है, बारिश होने के बाद खेती की गुड़ाई, निराई सारे काम किसान ही करता है लेकिन फसल लेना उसके हाथ में नहीं है। वह प्रकृति के हाथ में है और फसल का मूल्य निर्धारित करना भी उसके हाथ में नहीं है। कृषि उपज मूल्य मंडी में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, वे उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। ऐसे में मेरी आपसे अर्ज है कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जब फसल कम होती है तो थोड़ा मूल्य बढ़ जाता है। सारे देश के कई लोग चिल्लाने लगते हैं कि कीमत बहुत बढ़ गई है लेकिन जब पैदावार अच्छी होती है, कीमत कम हो जाती है, उस समय कोई भी आदमी नहीं बोलता है, केवल एम.एस.पी. ही उसका सहारा होता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि देश में कई फसलें- चावल, गेहूं हैं, सबके मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं लेकिन राजस्थान की कॉमर्शियल क्रॉप्स बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं जो निर्यात करके राष्ट्र में विदेशी मुद्रा ला रही हैं। इन फसलों का एम.एस.पी. होना अति आवश्यक है। वे फसलें हैं- ग्वार, मोंठ, जीरा, धनिया, मेंहदी, सौंफ, ईशबगोल, अरंडी इत्यादि सारी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। हमारी मुख्य मंत्री महोदया जी ने कृषि मंत्री जी को कई बार चिट्ठी लिखी है कि इन फसलों को एम.एस.पी. की लिस्ट में डाला जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके इन फसलों को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि राजस्थान के काश्तकारों को लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. सत्यपाल सिंह,

डॉ. मनोज राजोरिया और

श्री रोड़मल नागर,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

संतोष अहलावत और

श्री पी.पी.चौधरी को श्री सी.आर.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।